अनुसूची– 562 राधा कृष्णा साह बनाम विकास दास

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हसतक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... तक

जिला .... सन् 200 ....

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख
1	2	3
2.2.19	प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। यह वाद दिनांक-21.01.2017 को राधा कृष्ण साह पोष्यपुत्र-तोता साह, निवासी डंगालपाड़ा, थाना-दुमका नगर, अनुमण्डल वो जिला-दुमका द्वारा जो इस वाद के प्रथम पक्ष है, के द्वारा विकास दास पिता-रवि दास निवासी मोहल्ला-बन्दरजोरी, थाना-दुमका नगर, अनुमण्डल वो जिला-दुमका द्वारा जो इस वाद के द्वितीय पक्ष है, के विरूद्ध मौजा-बन्दरजोरी, नं0-12 के जमाबन्दी नं0-76/KA, 77/KA दाग नं0-350/A पर अवैद्य निर्माण कार्य को रोकने हेतु दाखिल किया गया। यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश के साथ उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा थाना प्रभारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षी विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से स्वंय उपस्थित हुआ। विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई। आज तक विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार का कारण पृच्छा जमीन से संबंधित दावे के संदर्भ में दाखिल नहीं किया गया जबकि प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन के परिशिष्ट में उल्लेखित जमीन के स्वामित्व से संबंधित अंचल कार्यालय, दुमका द्वारा निर्गत खजाना रसीद न्यायालय अंचलाधिकारी, दुमका द्वारा नामांतरण वाद संख्या-71/1972-73 के आदेश की अभिप्रमाणित छायाप्रति दाखिल किया गया जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक खतियानी रैयत के पुत्रवधु मसोमात गंगीया सहुवाईन पति-स्व0 तोता साह का दत्तक पुत्र है जिसका निबंधन संख्या-562 दिनांक-10.07.1964 जिला निबंधन कार्यालय, दुमका में हुआ है।	